निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 42/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

लालाराम पुत्र रूडाराम जाति माली निवासी ग्राम सरणा, उप तहसील जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री मक्खन लाल मीणा पीठासीन अधिकारी नायब तहसीलदार जालसू जिला जयपुर ।
2. नारायणी देवी पत्नी घीसालाल जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बरना, उप तहसील जालसू, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उप तहसीलदार जालसू के समक्ष लम्बित मुकदमा नम्बर 20/2020 ब उनवानी नारायणी बनाम लालाराम को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री ओम प्रकाश सैनी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री महेश चन्द शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 07.01.2021

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उप तहसीलदार जालसू के समक्ष प्रकरण संख्या 20/2020 ब उनवानी नारायणी बनाम लालाराम किस्म धारा 135(2) एल आर एक्ट के तहत विचाराधीन है। जिसमें मिन प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो कर अवगत कराया कि अप्रार्थी संख्या 2 ने कूट रचना कर तथाकथित, कपोल कल्पित, काल्पनिक विकय पत्र धोखाधडी पूर्वक करवाते हुए उक्त कार्यवाही करवाते हुये न्यायालय श्रीमान के समक्ष नामान्तरकरण हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर प्रार्थी ने न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मुकाम जयपुर के समक्ष प्रकरण विचाराधीन होने बाबत अधीनस्थ न्यायालय को सम्पूर्ण तथ्यों से अवगत कराया गया है। प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता मौखिक रूप से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो कर अवगत कराया कि वर्तमान में राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत नहीं हो पा रही है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने कहा कि मुझे आपकी कार्यवाही से कोई मतलब नही है । मै अप्रार्थी संख्या 2 के हक में तथाकथित विकयपत्र के आधार पर प्रकरण का निर्णय उसके पक्ष में कर नामान्तरकरण की कार्यवाही के लिए निस्तारण कर दूंगा। जिस पर प्रार्थी को बडा आश्चर्य हुआ तथा मिन प्रार्थी ने पीठासीन

जिला कलक्टर
जयपुर

अधिकारी के विरूद्व कार्यवाही करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन कर निवेदन किया तो अधीनस्थ न्यायालय ने मिन प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रदान नही की। जिस कारण प्रार्थना पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय की प्रमाणित प्रति मिन प्रार्थी संलग्न नही कर पाया है तथा प्रार्थी को न्याय के नसैर्गिक सिद्वान्तों के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परेशान किया जा रहा है। जिस कारण यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुइा। अभी हाल में अप्रार्थी संख्या 2 के साथ आये बिचौलिये व्यक्ति ने पुनः प्रार्थी को धमकी दी कि अब जल्दी तहसीलदार साहव प्रार्थना पत्र स्वीकार कर देंगे हमारी उनसे वात हो चुकी है तथा प्रार्थी को कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर देंगे इस पर प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 2 व उसके साथ आये बिचौलिये व्यक्ति की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थी आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे हुआ। जव अप्रार्थी संख्या 2 व उसके साथ आये बिचौलिये व्यक्ति अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गया है तो फिर प्रार्थी को न्याय प्राप्त होना असम्भव है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्त की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसी परस्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्ययहित में आवश्यक है। ऐसा कथन अंकित उक्त उनवानी प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उप तहसीलदार जालसू से विन्दूवार टिप्पणी तलव की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री महेश चन्द शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली वहस हेतु नियत की गई।
3. वहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पर गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
5. उप तहसीलदार जालसू ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि प्रार्थी लालाराम को वार वार समय दिया जाते हुए तथा उसकी ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेज को शामिल मिसल रख कर सुनवाई में रखा गया है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं उप तहसीलदार जालसू से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
6. उप तहसीलदार जालसू उभय पक्ष को सुनवाई का असर प्रदान कर प्रकरण का गुणावगुण एवं मैरिट के आधार पर निर्णय पारित करना सुनिश्चित करे।
7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्व कायदा उप तहसीलदार जालसू को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।
8. निर्णय आज दिनांक 07.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

7/1/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर